राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक– प–21 (1) ( ) निमअ0/म0श0पु0/2014–15 1,01, 841-873 जयपुर, दिनांक– 5/12/18

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
जिला समस्त(राज0)

विषयः– महिला शक्ति पुरूस्कार वर्ष– 2018–19 हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा महिला शक्ति पुरस्कार नियम, 1996 व संशोधन नियम, 2009 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 08 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राज्य स्तर पर महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिये राजस्थान राज्य का नागरिक जिसने कम से कम 10 वर्षों से महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, रोजगारोत्पादक कार्य, किशोरियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समाज में महिलाओं के स्तर को उन्नत करने की दिशा में कार्य किया है पात्र होगें।

अतः वर्ष **2018–19** में महिला शक्ति पुरस्कार के लिए स्वयं व्यक्तिश रूचि लेकर एवं जिले के क्षेत्रिय अधिकारियों से संपर्क कर उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों से विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्ताव प्राप्त कर कर संबंधित जिला कलक्टर महोदय की स्पष्ट अभिशंषा सहित आयुक्तालय को **दिनांक 30.12.2018** सांयकाल 5.00 बजे तक व्यक्ति विशेष के साथ भिजवाने का श्रम करें, इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

महिला शक्ति पुरस्कार के आवेदन का प्रारूप एवं विज्ञापन विभागीय वेबसाईट **www.wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। पत्र के साथ भी संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(सुषमा अरोड़ा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

प्रतिलिपि: प्रोग्रामर, म.अ. को भेजकर लेख है कि महिला शक्ति पुरस्कार के आवेदन का प्रारूप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

26.12.18

20/12/2018

डॉ. कमलिनी द्रविड़
कार्यक्रम निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर